



॥ श्री ॥

निगरानी प्रकरण क्र. / 2017

**श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर
मध्यप्रदेश ग्वालियर के समक्ष**

RS 75-PPR-17

- 1. मेहबुब पिता सुलेमान
 - 2. वसीम पिता इलियास
- दोनो निवासी-सेलानीपुरा, मेघनगर,
जिला झाबुआ (म.प्र.)

.....आवेदकगण

विरुद्ध

- 1. कालूजी पिता मडिया डामोर
निवासी- सेलानीपुरा, मेघनगर,
जिला झाबुआ (म.प्र.)
- 2. श्रीमान तहसीलदार महोदय,
तहसील मेघनगर जिला झाबुआ (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत

श्रीमान तहसीलदार महोदय, मेघनगर जिला झाबुआ के राजस्व प्रकरण क्रमांक बी/121/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23/01/2017 एवं उसके पालन में प्रेषित सूचना पत्र तथा उक्त प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही से असंतुष्ट होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 575-पीबीआर/17

जिला झाबुआ

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

5-7-2017

आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 23-1-2017 को स्थगन आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त आवेदकगण को तहसील न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर प्राप्त है, जहां वे स्थगन निरस्ती सम्बन्धी कार्यवाही कर सकते हैं । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष